पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

पीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 733 / 2008

अपीलार्थी:

(दावाकर्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. बलाप राम, पिता स्व. नानकू, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम डोकरबुड़ा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
2. मोगरा बाई, पति बलाप राम, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम डोकरबुड़ा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

(अनावेदक-गण)

1. रमेश चौहान, पिता गंगाराम चौहान, आयु लगभग 25 वर्ष, पेशा – चालक, निवासी ग्राम अगरोरा, थाना बरसा, जिला जौनपुर (उ.प्र.)
2. चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी, सी-64-ए, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

3. इफ्को टोकियो, इफ्को टावर, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर-29, गुड़गांव (हरियाणा), शाखा कार्यालय – इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शॉपिंग नंबर 345-347, फ्लोर लाल गंगा, शॉपिंग मॉल, जेल स्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील ज्ञापन)

उपस्थिति : श्री एम.के. सिन्हा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

श्री आर.आर. सिन्हा विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से।

श्री अमृतो दास विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता द्वारा पारित किया गया।

1. मृतक बुधवरू राम के दुर्भाग्यशाली माता-पिता प्रतिकर की वृद्धि हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत इस अपील में अपीलार्थी हैं, जो चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायगढ़ (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 29/2006 में दिनांक 24.07.2007 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध दायर की गई है।

2. अपीलार्थी/दावाकर्ता, अर्थात् मृतक बुधवरू राम के दुर्भाग्यशाली माता-पिता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दिनांक 29.08.2006 को हुई मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में ₹14,25,000/- की राशि का दावा किया गया था, जिसके विरुद्ध अधिकरण ने दावा याचिका दायर किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान

की तिथि तक 7.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित कुल ₹87,000/- की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदान की।

3. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात् यह निर्णय किया कि दावाकर्ताओं का पुत्र बुधवरू राम दिनांक 29.08.2006 को हुई मोटर दुर्घटना में उसे लगी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ; यह दुर्घटना स्वयं मृतक बुधवरू राम की लापरवाही तथा पंजीयन क्रमांक H.R.-38/H-0709 वाले डम्पर के चालक की लापरवाही के कारण हुई; मृतक बुधवरू राम तथा डम्पर के चालक की लापरवाही 50%-50% के अनुपात में थी; चूँकि उक्त डम्पर दुर्घटना की तिथि को इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित था तथा बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के किसी उल्लंघन को स्थापित नहीं कर सकी, अतः बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को आकलित प्रतिकर की 50% राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर मृतक की आय ₹15,000/- प्रतिवर्ष आँकी। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए ₹15,000/- का 1/3 भाग घटाने के पश्चात् दावाकर्ताओं की आश्रितता ₹10,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित की गई। ₹10,000/- की वार्षिक आश्रितता को 13 के गुणक से गुणा कर प्रतिकर की राशि ₹1,30,000/- निर्धारित की गई। चूँकि मृतक बुधवरू राम को दुर्घटना के लिए 50% तक उत्तरदायी ठहराया गया था, अतः दावाकर्ताओं को आश्रितता की हानि के मद में ₹65,000/- प्राप्त करने का अधिकारी माना गया। अन्य मदों के अंतर्गत अतिरिक्त ₹22,000/- प्रदान करते हुए, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में उनके पुत्र बुधवरू राम की मृत्यु के लिए दावाकर्ताओं को कुल ₹87,000/- की प्रतिकर राशि प्रदान की। अधिकरण ने उपर्युक्त ₹87,000/- की प्रतिकर राशि पर दावा याचिका दायर किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का भी निर्देश दिया।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अधिकरण ने इसे योगदायी उपेक्षा का मामला मानते हुए यह सही रूप से निर्णय दिया है कि मृतक बुधवरू राम ने भी दुर्घटना में समान रूप से योगदान दिया था, तथापि उसने मृतक की आय मात्र ₹15,000/- प्रतिवर्ष आंकने में त्रुटि की है; तथा केवल ₹87,000/- की अल्प प्रतिकर राशि प्रदान करने में भी गलती की है।

6. दूसरी ओर, डम्पर के बीमाकर्ता प्रत्यर्थी क्रमांक 3 इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतो दास ने अधिनिर्णय का समर्थन किया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹87,000/- की प्रतिकर राशि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतिकर है।

7. डम्पर के स्वामी प्रत्यर्थी क्रमांक 2 चौधरी ट्रांसपोर्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने भी उक्त अधिनिर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. चूँकि अपीलार्थीओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है कि मृतक बुधवरू राम ने भी दुर्घटना में समान रूप से योगदान दिया था, अतः हम इस पहलू की जाँच करना आवश्यक नहीं समझते।

9. यह सत्य है कि दावाकर्ताओं ने यह कथन किया था कि मृतक बुधवरू राम कृषि से ₹4,000/- प्रतिमाह की आय अर्जित करता था, किन्तु मृतक बुधवरू राम के गाँव में किसी कृषि भूमि का स्वामी होने के संबंध में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्यों की इस स्थिति में, मृतक की आय के संबंध में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को अस्वीकार करने में अधिकरण की अपनाई गई पद्धति में हमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

10. तथापि, वर्ष 2006 में अधिकरण द्वारा मृतक की आय ₹15,000/- प्रतिवर्ष आँकी जाना निश्चित रूप से कम पक्ष पर है तथा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

11. अधिनियम की धारा 163-ए, जिसके अंतर्गत द्वितीय अनुसूची वर्ष 1994 में प्रविष्ट की गई थी, इस प्रकार है :–

163-क. संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय के संबंध में विशेष उपबंध—

(1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता, जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यानों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) केंद्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपर्युक्त उद्धृत अधिनियम की धारा 163-ए की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को जीवन-यापन की लागत को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने का दायित्व निर्धारित किया गया है।

13. चूँकि केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 163-ए की उपधारा (3) में प्रावधानित अनुसार द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में असफल रही है, अतः न्यायालय/अधिकरण वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के प्रवर्तन तथा दिए गए प्रकरण में दुर्घटना की तिथि के मध्य की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा जीवन-यापन की लागत में वृद्धि का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं।

14. अब वर्तमान प्रकरण की ओर लौटते हुए, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, जिसमें दावाकर्ताओं के पुत्र बुधवरू राम ने अपना जीवन खो दिया, वर्ष 2006 में घटित हुई थी। यदि वर्ष 1994 से

वर्ष 2006 के मध्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि तथा जीवन-यापन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित ₹15,000/- की काल्पनिक आय, निश्चित रूप से वर्ष 2006 में ₹36,000/- हो जाएगी। अतः, हम मृतक की आय ₹36,000/- प्रतिवर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

15. यह विचार करते हुए कि दुर्घटना की तिथि को मृतक बुधवरू राम अविवाहित था, हम उच्चतम न्यायालय द्वारा **सैयद बशीर अहमद एवं अन्य बनाम मोहम्मद जमील एवं अन्य, रिपोर्टेड [(2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 225] तथा सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, [(2009) 6 एस.सी.सी. 121]** के प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में उसके व्यक्तिगत व्ययों हेतु ₹36,000/- का 50% घटाना उपयुक्त समझते हैं। अतः, मृतक के व्यक्तिगत व्ययों के मद में ₹36,000/- का 50% घटाकर दावाकर्ताओं की आश्रितता ₹18,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में, दावाकर्ता क्रमांक 1 बालाप राम, जो मृतक का पिता है, ने अधिकरण के समक्ष अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह गाँव में 15–16 एकड़ कृषि भूमि का स्वामी है तथा वह और उसकी पत्नी दोनों कृषक हैं।

17. चूँकि दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं, अतः वर्तमान प्रकरण में उपयुक्त गुणक 10 से अधिक नहीं हो सकता, उच्चतम न्यायालय द्वारा **म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य, रिपोर्टेड (2003) 8 एस.सी.सी. 731** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, जिसमें यह कहा गया था कि उन मामलों में जहाँ दावाकर्ता मृतक के माता-पिता होते हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

18. ₹18,000/- की वार्षिक आश्रितता को 10 के गुणक से गुणा करने पर प्रतिकर की राशि ₹1,80,000/- निर्धारित होती है।

19. चूँकि मृतक बुधवरू राम को दुर्घटना के लिए 50% तक उत्तरदायी ठहराया गया है, अतः दावाकर्ता आश्रितता की हानि के मद में ₹1,80,000/- का 50%, अर्थात् ₹90,000/- प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

20. दावाकर्ता अंतिम संस्कार व्यय के मद में ₹5,000/- तथा संपत्ति की हानि के मद में ₹5,000/- प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता मोटर दुर्घटना में अपने पुत्र बुधवरू राम की मृत्यु के लिए कुल ₹1,00,000/- की प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं।

21. दावाकर्ताओं को प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि ₹13,000/- पर देय ब्याज की परिमाणित राशि के रूप में अतिरिक्त ₹2,000/- भी प्रदान की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपर्युक्त कारणों के अनुसार, प्रतिकर की वृद्धि हेतु अपीलार्थीओं/दावाकर्ताओं द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹87,000/- की प्रतिकर राशि को बढ़ाकर ₹1,00,000/- किया जाता है तथा प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि ₹13,000/- पर देय ब्याज की परिमाणित राशि के रूप में अतिरिक्त ₹2,000/- भी प्रदान किए जाते हैं।

23. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष कुल ₹15,000/- (₹13,000/- प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि के मद में + ₹2,000/- प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि ₹13,000/- पर देय ब्याज की परिमाणित राशि के मद में) जमा करने हेतु तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।

24. वाद व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया हैI

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधिपति **आर. एन. चंद्राकर**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Abhishek Banjare, Advocate